न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 21/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/56

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	श्री हुरजी/ नाथू उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नवाघरा भाग द्वितीय तहसील अरथुना

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 09–07–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.06.2023 को श्री हुरजी/ नाथू उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नवाघरा भाग द्वितीय (पोस कोड 6086) तहसील अरथुना का दिनांक 18.06.2023 को भौतिक सत्यापन करने पर उक्त डीलर द्वारा 154.58 क्विं गेहूं का गबन एवं दुरुपयोग करना पाये जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफ.आर.आर दर्ज होने तथा विभागीय प्रकरण में सुनवाई की जाकर 29.12.2023 को उनका प्राधिकार पत्र सं. 953/1997 को निरस्त किया गया।

अप्रार्थी डीलर श्री हुरजी/ नाथू उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नवाघरा भाग द्वितीय (पोस कोड 6086) तहसील अरथुना द्वारा कुल 154.58 क्विं गेहूं के गबन की कुल राशि 417366/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को दिनांक 16.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र राशि 417366/- रु. का जारी किया गया। दिनांक 29.08.2024 को श्री सुरज रावत अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब हेतु समय चाहा। पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी दिनांक 01.05.2025 तक जवाब प्रस्तुत नही करने पर अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया।

दिनांक 01.05.2025, 15.05.2025, 30.05.2025, 18.06.2025, 02.07.2025 व आज दिनांक 09.07.2025 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार रुक-रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एकक्षीय बहस सुनी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि श्री विनोद कुमार पाटीदार तात्कालिन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.06.2023 को श्री हुरजी/ नाथू उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नवाघरा भाग द्वितीय (पोस कोड 6086) तहसील अरथुना का दिनांक 18.06.2023 को भौतिक सत्यापन करने पर खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं का स्टॉक 134.64 क्विं एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 19.94 क्विं गेहूं पोस मशिन में प्रदर्शित कर रहा था। इस प्रकार कुल 154.58 क्विं गेहूं गोदाम में होना चाहिये था। परन्तु डीलर के गोदाम में गेहूं का स्टॉक शून्य पाया गया। दिनांक 07.06.2023 को विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा नोटिस के जवाब प्रस्तुत कर 20 दिन में कम पाये गेहूं की पूर्ति करने निवेदन किया गया था। श्री हुरजी/ नाथू द्वारा खाद्यान्न की कोई मात्रा अस्थायी डीलर को सुपूर्द नही की गई। डीलर द्वारा 154.58 क्विं. गेहू का गबन एवं दुरुपयोग करना पाये जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अरथुना थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0062 दिनांक 03.05.2024 दर्ज करवाई गई एवं विभागीय प्रकरण में सुनवाई के पश्चात् दिनांक 29.12.2023 को उनका प्राधिकार पत्र सं. 953/1997 निरस्त किया गया है।

उक्त गबन किये गये 154.58 क्विं. गेहूं की कीमत प्रति क्विं 2700/- की दर से 417366 बनती है। जिसकी वसूली किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार करने निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीलर श्री हुरजी/ नाथू उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नवाघरा भाग द्वितीय (पोस कोड 6086) तहसील अरथुना द्वारा 154.58 क्विं गेहूं का गबन किया गया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 11 व 17सी का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना अरथुना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा उनके प्रकरण सं. 68/2023 में निर्णय दिनांक 16.01.2023 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 953/1997 निरस्त किया है।

अप्रार्थी डीलर श्री हुरजी/ नाथू उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नवाघरा भाग द्वितीय (पोस कोड 6086) तहसील अरथुना द्वारा 154.58 क्विं गेहूं का गबन किया गया। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। इस प्रकार विभाग अनुसार 154.58 क्विं गेहूं की कुल राशि 417366/–रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री हुरजी/ नाथू उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नवाघरा भाग द्वितीय (पोस कोड 6086) तहसील अरथुना से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत राशि विभाग अनुसार 417366/–रु अक्षरे रुपया चार लाख सत्रह हजार तीन सौ छासठ रुपया मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)